छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई, 2008
(आषाढ़ - 19, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 एवं 06 से 10 (कुल 09) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.चेतन वर्मा अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 2 तारांकित प्रश्न एवं 17 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. वक्तव्य

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 9 जुलाई, 2008 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र.221) एवं 7 मार्च, 2008 की प्रश्नोत्तरी में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 1 (1462) के उत्तर में विरोधाभास न होने के संबंध में वक्तव्य दिया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने -

(1) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2007-2008 के बजट की तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007,

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007, तथा

(4) वित्तीय वर्ष 2007-2008 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का परफार्मेंस बजट पटल पर रखे ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने डॉ.भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में व्याप्त अव्यवस्था की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने जिला-कांकेर, थाना-नरहरपुर, ग्राम-चंवाड़ में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कांकेर के सांसद की गिरफ्तारी एवं प्रकरण की CBI जांच कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में आये तथा शासन विरोधी नारे लगाते रहे ।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बैदूराम कश्यप, सभापति ने याचिका समिति का तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

(2) श्री ओमप्रकाश राठिया, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2008 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 01)	श्री उदय मुदलियार	30 मिनट
2. (क्रमांक - 04)	श्री देवजी पटेल	30 मिनट
3. (क्रमांक - 05)	श्री भूपेश बघेल	30 मिनट
4. (क्रमांक - 09)	श्री संजय ढीढी	30 मिनट
5. (क्रमांक - 11)	श्री निर्मल सिन्हा	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ.बालमुकुंद देवांगन

(2) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने निम्न विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

1. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 14 सन् 2008)
2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 20 सन् 2008)

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 14 सन् 2008)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 20 सन् 2008)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया ।

9. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, बोधराम कंवर, भूपेश बघेल, डॉ.शिवकुमार डहरिया, महंत रामसुंदर दास, डॉ.रामचंद्र सिंहदेव, रविन्द्र चौबे, डॉ.शक्राजीत नायक, ताम्रध्वज साहू, उदय मुदलियार, डॉ.हरिदास भारद्वाज, गणेशशंकर बाजपेयी, चुरावन मंगेशकर, राजकमल सिंघानिया, मोतीलाल देवांगन, सियाराम कौशिक, चैतराम साहू, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, धर्मजीत सिंह, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री रामपुकार सिंह ।

माननीय उपाध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को सभा से बाहर जाने के निर्देश दिए व सदस्यों के निलंबन की अवधि पश्चात् विनिश्चित करने की सूचना दी ।

(1.27 से 3.04 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

10. निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - उन्होंने आज सभा के गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण नियमावली के नियम 250 के अंतर्गत सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि नियम 250 (1) के अंतर्गत आज दिनांक 10.7.2008 को 3.00 बजे तक निर्धारित की थी ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2008)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, प्रीतम सिंह दीवान, नोवेल कुमार वर्मा ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने आपत्ति व्यक्त की कि विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं लगा है, इसलिए इसे वित्तीय ज्ञापन सहित बाद में प्रस्तुत कर पारित कराना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस तरह की आपत्ति विधेयक के पुर:स्थापन के समय की जानी चाहिए थी , चूंकि विधेयक पर विचार प्रारंभ हो गया है, इसलिए आपत्ति अमान्य की जाती है ।

12. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(2) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008)

सुश्री रोजलिन बेकमेन ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 21 इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया एवं प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008)

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अघनसिंह ठाकुर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, इंदर चोपड़ा, निर्मल सिन्हा ।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 12 इस विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खंड 13 में इस प्रकार संशोधन किया जाए :-

विधेयक के खंड 13 में शब्द *दो वर्षों* के स्थान पर *पांच वर्षों* स्थापित किया जाय ।

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

यथासंशोधित खंड 13 इस विधेयक का अंग बना ।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खंड 14 में इस प्रकार संशोधन किया जाए :-

विधेयक के खंड 14 के उपखंड (3) के परन्तुक में प्रथम *शब्द* विलोपित किया जाये ।

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

यथासंशोधित खंड 14 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 15 से 70 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

यथासंशोधित विधेयक पारित हुआ ।

सायं 5.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 20, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा